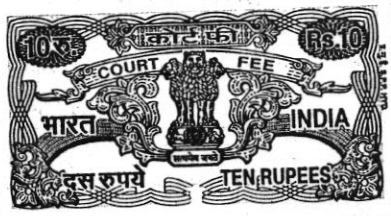

(धारा)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /२०१७ निगरानी नवीन पुराण
III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2017/3951 -395/2017

कैलाशनारायण मृत वारिसान:-

(१) कमलकान्त दीक्षित, | पुत्रगण कैलाश नारायण दीक्षित
(२) विमलकान्त दीक्षित |
(३) अनिलकान्त दीक्षित, |
(४) रामबाबू पुत्र शिवदत्त दीक्षित,
(५) अरुण कुमार पुत्र विष्णुदत्त दीक्षित,

समस्त निवासीगण ग्राम परा, तेहसील अटेर, जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

दिनांक 18.10.17 को श्री ... ... उपस्थित/ ... द्वारा प्रस्तुत/
18.10.17
पेशी दिनांक 31.10.17

Noted.
...
18/10/16

बिरुध्द

(१) श्यामविहारी पुत्र माधौराम दीक्षित, निवासी ग्राम-परा, तेहसील अटेर, जिला भिण्ड-म०प्र० ।--असल प्रतिप्रार्थी
(२) श्रीमती कुसुम बाजपेई पुत्री श्री कैलाशनारायण दीक्षित, पत्नी स्व० रमाकान्त बाजपेई, निवासिन ३३७-सी०पी०कालोनी, मुरार, ग्वालियर ।
(३) श्रीमती अनीता मिश्रा पुत्री श्री कैलाश-नारायण दीक्षित, पत्नी सुनील मिश्रा, तिलक वार्ड, मण्डलातह. व जिला मण्डला-म०प्र० ।
(४) श्रीमती सुनीता पुत्री कैलाशनारायण दीक्षित पत्नी श्री देवेन्द्र दीक्षित, हाऊसिंग कालोनी, भिन्ड-तेहसील व जिला भिन्ड-म०प्र० ।
(५) श्रीमती वन्दना दुबे पुत्री कैलाशनारायण दीक्षित, पत्नी श्री शिवप्रेम दुबे, निवासिन ई०एम० १६, डी०डी०नगर, ग्वालियर-म०प्र०

तरतीबी ----प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय, भिण्ड दिनांक २७-८-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९।
प्र० क्र० ९।१५-१६ अपील-पाल ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नआधारों पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, कलेक्टर महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, प्रकरण के प्रत्यावर्तन का कोई औचित्य न था, क्योंकि प्रकरण मे विधिवत जांच के पश्चात् ही अधीक्षक भू-प्रबन्धन ०दारा दिनांक १२-०९-२०१२ को आदेश पारित किया गया था ।

४- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय ने धारा ४६ के प्रावधानों पर विचार किये बिना ही प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया है । कानूनन अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का वर्जन होने से अपर कलेक्टर महोदय ०दारा पारित विवादित आदेश अधिकार रहित होकर शून्य होने से निरस्ती योग्य है ।

५- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय मे प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला है ।

६- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय ने न्यायालय मे प्रार्थीगण के बिरुध्द गलत रूप से एकतर्फी कार्यवाही की गई है ।

७- यह कि, प्रार्थीगण का सुनवाई की सूचना भी भू-राजस्व संहिता की अनुसूची मे बने नियमों के विपरीत होने से तथा नियमों का पालन किये बिना होने से पारित विवादित आज्ञा निरस्ती योग्य है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

(417)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3951

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	